Himachal Pradesh
Board of School Education
Dharamshala, Himachal Pradesh

कमांकः हि०शि०बो०(33) राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/13749-14049 दिनांकः- 21-11-2018

"अधिसूचना"

अधिसूचित किया जाता है कि पूर्व में जिन परीक्षार्थियों ने हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं अथवा बाहरवीं कक्षा की परीक्षा नियमित(Regular)/निजी(Private) तौर पर या राज्य मुक्त विद्यालय(SOS) के अंतर्गत उर्त्तीण की है, ऐसे परीक्षार्थियों को अपने प्राप्त कुल अंको में सुधार(Division Improvement) करने के लिए सत्र मार्च 2019 से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस परीक्षा के लिए इच्छुक परीक्षार्थी हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न राज्य मुक्त विद्यालय(SOS) के अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर सकतें है। आवेदन केवल आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

इच्छुक परीक्षार्थी उपरोक्त परीक्षा हेतु दिनांक **05.12.2018** से **31.12.2018** तक शुल्क 2600/- के साथ अपने नजदीकी राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है। परीक्षार्थियों से आग्रह है कि वह अपना आवेदन/पंजीकरण करवाने से पहले इस संर्दभ में निर्धारित दिशानिर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें ।

उपरोक्त तिथियों के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार्य नही होगें।

सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। दिनांक:21.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचर्नाथ प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
2. निजी सचिव, सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
3. अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त सचिव हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. अनुभाग अधिकारी आई० टी० सैल को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने के साथ Online Application को उपरोक्त तिथि अनुसार सक्रिय करवाऐं।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
7. समस्त समन्वयक हि०प्र० राज्य मुक्त विद्यालय अध्ययन केन्द्र को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यावाही हेतु ।
8. लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।

—ह०/—
सचिव

"राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत अंक सुधार (**Division Improvement**) की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश"

1. केवल ऐसे परीक्षार्थी हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अन्तर्गत श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है,जिन्होने केवल हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड/ हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय से दसवीं अथवा बाहरवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. श्रेणी सुधार की परीक्षा केवल उन्ही विषयों में ली जाएगी जो कि वर्तमान में हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय(SOS) की परीक्षा प्रणाली में प्रचलित/उपलब्ध है।
3. श्रेणी सुधार की परीक्षा वर्तमान समय में चल रहे Passing criteria और Syllabus के अनुसार ही होगी।
4. श्रेर्णी सुधार की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को आवेदन के समय/बाद में अपना पुराना मूल–प्रमाण पत्र बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा। परीक्षा में सफल होने की स्थिति में छात्र द्वारा पुराना मूल–प्रमाण पत्र जमा करवाने के पश्चात् ही नया प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।
5. ऐसे छात्र जोकि श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए आवेदन करते है उन्हें कार्यालय द्वारा नया नामांकन/अनुक्रमांक नम्बर जारी किया जाएगा, और आंबटित नामांकन/अनुक्रमांक नम्बर केवल एक ही सत्र के लिए मान्य होगा।
6. श्रेणी सुधार की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् यदि छात्र के अंको में बढौतरी होती है तो नया मूल–प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा अन्यथा पुराना मूल–प्रमाण पत्र जोकि छात्र द्वारा जमा करवाया गया है, उसे कार्यालय द्वारा वापिस कर दिया जाएगा।
7. यदि श्रेणी सुधार की परीक्षा में किसी एक विषय में अकों की बढौतरी होती है और दूसरे विषय में अंक कम हो जाते हैं तथा कुल अंको के योग में कोई बढौतरी नही होती है तो परीक्षा परिणाम **P.R.S. (Previous Result Stand)** ही दर्शाया जाएगा।
8. प्रैक्टिकल से सम्बन्धित विषय में श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए Theory विषय के साथ साथ Practical विषय की परीक्षा देना भी अनिवार्य है। इसके लिए कुल शुल्क के साथ 100/- रू० प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क (प्रति विषय) के हिसाब से अतिरिक्त जमा करवाना होगा।
9. ऐसे छात्र जोकि श्रेर्णी सुधार की परीक्षा में प्राप्त अंको से संतुष्ट नही है, वह अगले सत्र के लिए पुनः श्रेणी सुधार की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते है जिसके लिए उन्हें सारे शुल्क (पंजीकरण/नामांकन/प्रैक्टिकल शुल्क और परीक्षा शुल्क) पुनः नए सिरे से जमा करवाने होगें, तथा इस परीक्षा के लिए अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएगें।
10. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के अन्तर्गत एक या अधिक विषयों में श्रेर्णी सुधार की परीक्षा के लिए ऐसे परीक्षार्थी भी पात्र होंगे जिन्होने मार्च, 2002 या इसके पश्चात हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं या बाहरवीं कक्षा की परीक्षा नियमित/निजी तौर पर अथवा हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत उतीर्ण की हो।
11. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होनें मार्च, 2001 या इससे पूर्व दसवीं अथवा बाहरवीं कक्षा की परीक्षा नियमित/ निजी तौर पर हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड से उतीर्ण की हैं, और ऐसे परीक्षार्थी हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के तहत श्रेणी सुधार की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें पूर्ण विषयों में परीक्षा देनी होगी। ऐसे परीक्षार्थियों को भी इस परीक्षा के लिए अधिकतम तीन अवसर प्रदान किए जाएगें।
12. श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिए केवल बोर्ड कार्यालय द्वारा हि0प्र0 में स्थापित हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकेगा जो कि पूर्णतया online प्रक्रिया से होगा।

सचिव